



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 7, 1992/वैशाख 17, 1914

No. 277]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 1992/VAISAKHA 17, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में संग्रहित  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1992

[अरावली रेंज में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कतिपय त्रियाकलाप जो कि प्रदेश में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं के निर्बंधन के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) और 3(2) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5(3) के अधीन]

का. आ. 319(अ) :—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3(1) और धारा 3(2)(क) के अधीन एक अधिसूचना, जिसमें अरावली रेंज में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कतिपय त्रियाकलापों जो कि प्रदेश में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, के निर्बंधन के लिये आक्षेप मांगे गये थे, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में (देखिए का. आ. 25(अ), तारीख 9 जनवरी, 1992) प्रकाशित की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, प्राप्त सभी आक्षेपों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से उपाखंड सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उनकी पूर्व अनुज्ञा के सिवाय निम्नलिखित प्रक्रियाएं और संक्रियाएं करने का निषेध करती है,--

- (i) किसी नये उद्योग का प्रस्तावना, जिसमें विस्तारण और आधुनिकीकरण भी है;
- (ii) (क) सभी खनन संक्रियाएं, जिसमें खनन पट्टों का नवीकरण भी है
- (ख) भ्रमदारियों/राष्ट्रीय पार्क और परियोजना शेर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में विद्यमान खनन पट्टे और/या
- (ग) खनन प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना खनन; कार्य किया जा रहा है।
- (iii) पेड़ों की कटाई;

(iv) किसी नियामक एकाई का समूह, फार्माहाउस, जेब्रा, समुदाय केन्द्रों, सूचना-केन्द्रों का विनिर्माण और ऐसे विनिर्माण में संश्लेषण कोई अन्य नियामकता (जिसमें उक्त संघीय नियमों के अन्तर्गत के भाग के रूप में वर्णित है) :

(v) विद्युतीकरण (नई प्रेषण लाइनों का विद्युत गणना) ।

2. कोई व्यक्ति जो उक्त क्षेत्रों में कोई उपरोक्त यंत्रणा प्रक्रिया या संक्रियाएँ करने की वांछ करता है, एक आवेदन संलग्न आवेदन प्रारूप में (उपाबंध) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली को देगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र और प्रस्तावित संक्रिया और प्रक्रिया के व्योरे विनिर्दिष्ट किये जायेंगे । आवेदन के साथ एक पर्यावरण समाधात कथन और एक पर्यावरणीय प्रबंध योजना भी देगा और आवेदन पर विचार करने के लिये ऐसी अन्य सूचनाएँ जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषणा की जाए, देगा ।

3. केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, उक्त अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी के लिये उनके द्वारा समय-समय पर जारी किये गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या जहाँ आवेदनक से और कोई जानकारी मांगी गई हो तो ऐसी जानकारी की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान करेगा या उक्त क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रस्तावित प्रक्रिया या संक्रिया के सामाधात के आधार पर उक्त अवधि के भीतर अनुज्ञा देवे से इंकार करेगा ।

4. इस अधिसूचना के अधीन अनुज्ञा की वांछ के लिये कोई आवेदन विहित प्रारूप में (उपाबंध देखिए) सम्बन्धक रूप से भर कर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को भेजा जा सकेगा ।

[सं. 17/1/91-वी एन/आई ए]  
आर. राजामणी, सचिव

सारणी

वे क्षेत्र जहाँ बिना अनुज्ञा की प्रक्रियाओं और संक्रियाओं का निषेध किया गया है ।

(i) इस अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य के मुहनांव जिले और राजस्थान राज्य के झुजवर जिले के संबंध में इस अधिसूचना की तारीख को राज्य सरकार द्वारा रखे गए भू-अभिलेख में "वन" के रूप में वर्णित गए सभी धारक्षित वन, संरक्षित वन या कोई अन्य क्षेत्र

(ii) इस अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य के मुहनांव जिले और राजस्थान राज्य के झुजवर जिले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा रखे गए भू-अभिलेखों में—

- (क) गैर मुमकिन पहाड़, या
- (ख) गैर मुमकिन राडों, या
- (ग) गैर मुमकिन वोट्ट, या
- (घ) बंजर बोट्ट, या
- (ङ) संघ

के रूप में दर्शित सभी क्षेत्र ।

(iii) मुहनांव जिले में इस अधिसूचना की तारीख तक हरियाणा राज्य को लागू गंजव लेण्ट प्रोजेक्शन एक्ट, 1900 की धारा 4 और धारा 5 की अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र ।

(iv) कृषीय (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जल संयंत्रों के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों पर पर्यावरण के समीक्षण

आवेदन का प्रारूप

1. (क) प्रस्तावित परिवर्तना का नाम और पता :

(ग) परिवर्तना का अर्थपूर्ण स्थान का नाम :  
जिला, तहसील :  
अवस्थिति पता

(ग) परीक्षित प्राकृतिक स्थल और प्रस्तावित स्थल के लिए पर्याप्त

2. परिवर्तना के उद्देश्य :

(क) भूमि का वर्गीकरण  
कृषि भूमि  
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ख) (i) प्रणवना, अभिसूचना और संघीय डायरेक्टिव करने हुए क्षेत्र की स्थलाकृति :

(ii) प्रस्तावित भूमि का आरक्षण वर्गीकरण :

(ग) 10 डिग्रीमीटर वर्गफल के अंतर्गत विद्यमान प्रयोग स्थान

(घ) निरक्षर राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजन्तु/जीव संतान आरक्षण/संसाधक/प्राचीन स्थल/आरक्षण का भी उल्लेख

(ङ) खदानों/खारों एरिया के लिए पूर्ववर्तित योजना

(च) हित पट्टी योजना :

(छ) प्रतिरक्षात्मक वनरोपण योजना :

4. जलवायु और वायु क्वालिटी\* :

(क) स्थल पर पवनरेख :

(ख) अधिकतम/सूचक/औसत वार्षिक तापमान

(ग) परिवेशी वायु क्वालिटी के मानक

(घ) परिवर्तना में एम पी एम, सीपी (सी ओ, सी ओ 2, एम सी 2, एम ओ एम) के उत्सर्जन की प्रकृति और मात्रा :

\*\* 5. (क) जल सतल स्थल पर जल संयंत्र और सूचक की उपस्थिति और मात्रा :

(ख) सतल सतल में जल की उपस्थिति :

(ग) उपयोग में आए जाने वाले जल स्रोत, प्रदूषित स्रोतों की (नदी, झील, भूगर्भ, मानवजनित प्रदाय) के व्योरे :

घ) जल की क्वालिटी :

(ङ) पिछले 15 वर्षों में जल की मात्रा और क्वालिटी, गए परिवर्तन और वर्तमान में अरण तथा निष्कर्षण के व्योरे

(च) (i) छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा उनके उपचार व्योरे सहित :

(ii) अविशारी जलाधान में अपशिष्ट जल की मात्रा और क्वालिटी

\* प्राकृतिक भारत मौसम विज्ञान विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त किए गए जा सकते हैं ।

\*\* प्राकृतिक के लिए सूचक बोट्ट और सिनार्ड विभाग से प्राप्त की जा सकती है ।



MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 1992

(Under Section 3(1) and 3(2) (v) of the Environment Protection Act, 1986 and rule 5(3) (d) of the Environment (Protection) Rules, 1986 restricting certain activities in specified area of Aravalli Range which are causing Environmental Degradation in the Region.

S.O. 319(E).—Whereas a Notification under section 3(1) and section 3(2) (v) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) inviting objections against restricting certain activities in specified area of Aravalli Range which are causing Environmental Degradation in the Region was published in the Gazette of India, Part II-Section 3 Sub-section (ii) vide S.O. 25(E) dated 9th January, 1992;

And whereas all objections received have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2), of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby prohibits the carrying on of the following processes and operations, except with its prior permission, in the areas specified in the Table appended to this Notification :

- (i) Location of any new industry including expansion/modernisation;
- (ii) (a) All new mining operations including renewals of mining leases.  
(b) Existing mining leases in sanctuaries/national Park and areas covered under Project Tiger and/or  
(c) Mining is being done without permission of the competent authority.
- (iii) Cutting of trees;
- (iv) Construction of any clusters of dwelling units, farms houses, sheds, community centres, information centres and any other activity connected with such construction (including roads a part of any infrastructure relating thereto);
- (v) Electrification (laying of new transmission lines).

2. Any person who desires to undertake any of the above mentioned processes or operations in the said areas, shall submit an application to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, New Delhi, in the attached application form (Annexure) specifying, inter alia, details of the area and the proposed process or operation. He shall also furnish an Environment Impact Statement and an Environmental Management Plan along with the application and such other information as may be required by the Central Government for considering the application.

(iii) भूमि पर छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा और भूमि की किस्म :

6. सालिड वेस्ट

(क) उत्पादित ठोस अपशिष्ट की प्रकृति और मात्रा :

(ख) ठोस अपशिष्ट के स्थान की पद्धति :

7. शोर और कंपन

(क) शोर और कंपन के स्रोत :

(ख) परिवेश शोर का स्तर :

(ग) प्रस्तावित शोर और कंपन निवृत्तन उपाय :

(घ) निवृत्तन उपायों के साथ ध्वनतलन समस्या, यदि कोई हो :

8. प्रदूषण का स्रोत उपदर्शित करते हुए विद्युत की प्रयोग :

यदि बड़ा विद्युत यूनिट प्रस्तावित है तो पूरे पर्यावरण संबंधी व्योरे पृथक रूप में दिए जाएंगे :

9. अनिर्दिष्टित फिग जंगल या वाता गुण भूमि वन, उनके व्योरे सहित : क्षेत्र में स्थानीय स्वास्थ्य समस्याएं प्रभावित स्वास्थ्य प्रणाली

10. (क) प्राणों की संरक्षा और विस्थापित की जाने वाली जनसंख्या :

(ख) पुनर्वासि मास्टर प्लान :

11. जोखिम निर्धारण रिपोर्टें

12. (क) पर्यावरण समाधान निर्धारण रिपोर्टें : समय-समय पर एम. ई. एफ. द्वारा जारी किए गए मानदर्शकों के अनुसार तैयार की गई ।

(ख) पर्यावरण संबंधी प्रत्यक्ष योजना :

(ग) साक्ष्यता की विस्तृत रिपोर्टें :

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि के लिए प्रस्ताव जितने कागदा लागत विश्लेषण है :

13. राज्य प्रदूषण निवृत्तन बोर्ड और/या पर्यावरण और वन राज्य विभाग की सिफारिशें :

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के नाम, तारीख और पूरे ठाक पते सहित

टिप्पण : क. मद संख्या 3(ग), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (ख) और 12 (ग) पैरों की कटाई को लागू नहीं है ।

ख. मद संख्या 3 (ग), 4, 7, 11 निवास एककों के समूह, कृषि शेडों, सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण और ऐसे किसी भी निर्माण जिनमें सड़कें भी सम्मिलित हैं से संबंधित अन्य क्रिया कलापों को लागू नहीं है ।

ग. मद संख्या 3 (ख), 3 (ग), 3 (ङ), 3 (च), 4, 5, 6, 7, 9, 12 (क) और 12 (ख) विद्युतिकरण से लागू नहीं है ।

घ. खनन, उद्योग, उद्योगीय शक्ति, परिवहन परिव्योजनाओं की दशा में सभी मदें प्रस्तुत करनी हैं ।

ङ. ऊपर किसी बात के होते हुए भी ऐसी कोई भी मद (मदें) पर जो लागू नहीं होती विचार किया जाता है कारणों के सहित उपदर्शित की जा सकती हैं ।



3. The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall, having regard to the guidelines issued by it from time to time for giving effect to the provisions of the said Act, grant permission within a period of three months from the date of receipt of the application or where further information has been asked for from the applicant, within a period of three months from the date of the receipt of such information, or refuse permission within the said time on the basis of the impact of the proposed process or operation on the environment in the said area.

4. For seeking permission under this Notification, an application in the prescribed form (see Annexure), duly filled in, may be submitted to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.

[No. 17/191-PL/IA]

R. RAJAMANI, Secy.

#### TABLE

Areas where carrying on of processes and operations without permission is prohibited :

(i) all reserved forests, protected forests or any other area shown as "forest in the land records maintained by the State Government as on the date of this notification in relation to Gurgaon District of the State of Haryana and the Alwar District of the State of Rajasthan.

(ii) all areas shown as :—

- (a) Gair Mumkin Pahar, or
- (b) Gair Mumkin Rada, or
- (c) Gair Mumkin Behed, or
- (d) Banjad Beed, or
- (e) Rundh.

in the land records maintained by the State Government as on the date of this notification in relation to Gurgaon district of the State of Haryana and the Alwar district of the State of Rajasthan.

(iii) all areas covered by notifications issued under section 4 and 5 of the Punjab Land Preservation Act, 1900, as applicable to the State of Haryana in the district of Gurgaon up to the date of this Notification.

(iv) all areas of Sariska National Park and Sariska Sanctuary notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

#### ANNEXURE

#### APPLICATION FORM

1. (a) Name & address of the project proposed:

- (b) Location of the project:  
 Name of the Place :  
 District, Tehsil :  
 Location Map. :

(c) Alternate sites examined and the reasons for the site proposed:

2. Objectives of the project :

3. (a) Land Requirement :

Agriculture land :  
 Other specify) :

(b) (i) Topography of the area indicating gradient, aspect & altitude.

(ii) Eroability classification of the proposed land.

(c) Pollution sources existing within 10 km. radius.

(d) Distance of the nearest National Park [Sanctuary] Biosphere Reserve [Monuments] heritage site [Reserve Forest] :

(e) Rehabilitation plan for Quarries [borrow areas] :

(f) Green belt plan.

(g) compensatory afforestation plan.

4. Climate & Air Quality\*:

(a) Windrose at site:

(b) Max. | Min. | Mean annual temperature.

(c) Ambient air quality data:

(d) Nature & concentration of emission of SPN<sub>10</sub>, Gases (CO, CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> etc.) from the project:

5.\*\* (a) Water balance at site surface and ground water availability and demand :

(b) Lean season water availability:

(c) Water source to be tapped with details of competing users (Rivers, lake, Ground, Public supply):

(d) Water Quality:

(e) Changes observed in quantity and quality of water in the last 15 years and present charging and extraction details:

(f) (i) Quantum of waste water to be released with treatment details :

(ii) Quantum & Quality of water in the receiving water body :

(iii) Quantum of waste water to be released on land and the type of land:

6. Solid Wastes :

(a) Nature & quantity of solid wastes generated:

(b) Solid waste disposal method:

7. Noise & vibrations:

(a) Sources of noise & vibrations:

\*Data may be obtained from India Meteorological Department and State Pollution Control Board.

\*\*Ground water Board and the Irrigation Deptt. may be contacted for data.

7 10

- (b) Ambient noise level:
- (c) Noise & vibration control measures proposed:
- (d) Subsidence problem, if any, with control measures:
- 8. Power requirement indicating source of supply; complete environmental details to be furnished separately, if captive power unit proposed:
- 9. Total labour force to be deployed with details of:
  - Endemic health problems in the area.
  - Health care system proposed:
- 10. (a) Number of families and population to be displaced:
  - (b) Rehabilitation Master Plan :
- 11. Risk assessment report.
- 12. (a) Environmental Impact Assessment Report:
  - (b) Environmental Management Plan : Prepared as per Guidelines of MEF issued from time to time.
- Detailed Feasibility Report:

(d) Proposal for diversion of Forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 including Benefit Cost analysis.

13. Recommendations of the State Pollution Control Board and/or the State Department of Environment & Forests.

Signature of the Applicant  
Alongwith name, date and full Postal address.

N.B.:

- A. Item Nos. 3(c), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12(b) and 12(c) are not applicable to cutting of trees.
- B. Item Nos. 3(c), 4, 7, 11 are not applicable to construction of cluster of dwelling units, farm sheds, community centre and any other activity connected with such construction including roads.
- C. Item Nos. 3(b), 3(c), 3(e), 3(f), 4, 5, 6, 7, 9, 12(a) & 12(b) are not applicable to electrification.
- D. All items to be furnished in case of mining, industry thermal power, transport projects
- E. Notwithstanding the above, any item(s) considered not applicable may be so indicated alongwith reasons.